न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 08/2020 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र मिश्र प्रर्वतन अधिकारी कोटडी बनाम

1. मिश्रीलाल पुत्र राधेश्याम तेली निवासी सवाईपुर रोड कोटडी
2. रामप्रसाद तेली पुत्र शंकरलाल तेली वाहन चालक एवं मालिक मारूति वैन क्रमांक आर.जे. 06 यूए – 9982

–प्रार्थी –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण स्वयं उपस्थित

अति. जिला कलक्टर (राज.) भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक 27-10-2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 22.08.2020 को 9.25 पी. एम. पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोटडी ने सूचना दी कि रिफिलिंग आरोप पर एक मारूति वैन को 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों एवं रिफलिंग मशीन के साथ रोका गया है। उन्होनें बताया कि सवाईपुर रोड स्थित मिश्रीलाल तेली के मकान के बाहर जहां बीपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिंग मशीन द्वारा मारूति वैन क्रमांक आर.जे. 06 यूए 9982 में घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग की जा रही थी। विपक्षीगणों द्वारा एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जुर्म किया जाना पाया गया। थानाधिकारी द्वारा बनाये गये मौका पर्चा से स्पष्ट हैं कि आरोपियों द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर, जिसका उपयोग केवल घर में खाना पकाने के लिए होना चाहिए, का अवैध गैस रिफिलिंग में दुरूपयोग किया जाकर एलपीजी ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया हैं। मौके पर गैस रिफलिंग करने वाले व्यक्ति के कब्जे से मारूति वैन क्रमांक आर.जे. 06 यूए 9982, 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय रिफलिंग मशीन जब्त सरकार किया जाकर मारूति वैन को पुलिस थाना के एस.एस.आई. श्री नरेन्द्र कुमार एवं 08 घरेलू गैस सिलेण्डर को कोटडी गैस ऐजेन्सी चारभुजा भारत गैस ग्रामीण वितरक के मैनेजर श्री जगदीश सिंह को सुपुर्दगी में दिये

गये। निवेदन है कि जब्तशुदा मारूति वैन कमांक आर.ज़े. 06 यूए 9982, 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 78.10 किग्रा एलपीजी तथा एक रिफलिंग मशीन को राजसात करने का आदेश करावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.09.2020 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी सं. 02 द्वारा दिनांक 07.09.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन मारूति वैन कमांक आर.जे. 06 यूए 9982 को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नही है और वाहन जब्त होने से प्रार्थी बिल्कुल बेरोजगार हो गया है। अन्य कोई कमा खाने का साधन नही होने से जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने की कृपा करावें। उक्त वाहन को न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर प्रार्थी न्यायालय के समक्ष पेश कर देगा।

विपक्षी सं. 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर प्रकरण संख्या 05/2020 में विपक्षी संख्या 02 द्वारा दिनांक 15.09.2020 को सुपुर्दगीनामा व रूपये 2,00,000/- की जमानती पेश किये जाने पर थानाधिकारी कोटडी के नाम वाहन रिलिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते निवेदन किया कि विपक्षीगण से जब्तशुदा मारूति वैन कमांक आर.जे. 06 यूए 9982, 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 78.10 किग्रा एलपीजी तथा एक रिफलिंग मशीन को राजसात करने का आदेश करावें।

विपक्षीगण ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण एक ही परिवार के होकर अलग अलग निवास करते है व सभी की गैस डायरियां बनी हुयी है व घरेलू गैस कनेक्शन जारी हो रखे हैं। कोटडी गैस एजेन्सी दूर होने से वहां पर गैस एजेन्सी की गाडी को जो कि सिलेण्डर देने आती हैं, वहां से भरे सिलेण्डर उतरवाने हेतु रखे थे, जिसे पुलिस द्वारा गलत तरीके से जब्त किये है। विपक्षीगणों को घरेलू ईंधन हेतु उक्त सिलेण्डरों की आवश्यकता हैं। अतः निवेदन है कि विपक्षीगणों के जब्तशुदा 08 गैस सिलेण्डर को पुनः विपक्षी को सुपुर्द कराने का आदेश करावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक

अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट एवं मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगणों द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से 08 गैस सिलेण्डरों का रिफलिंग में दुरूपयोग की किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 78.10 किग्रा एलपीजी व एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 78.10 किग्रा एलपीजी व एक गैस रिफलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 78.10 किग्रा एलपीजी व एक गैस रिफलिंग मशीन का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक [illegible]-10-.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा